"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2009—भाद्र 20, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्वेता टिकेकर आत्मजा श्री यू. आर. टिकेकर, उम्र 27 वर्ष, निवासी-त्रिशरण नगर, खामला नागपुर की हूं. मेरी शादी दिनांक 12-05-2007 को श्री संजीव सिंह, निवासी राजनांदगाव से होने के कारण मेरा उपनाम परिवर्तित होकर श्वेता सिंह हो गया है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है.

अत: अब मुझे श्वेता सिंह पत्नी संजीव सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्वेता टिकेकर	श्वेता सिंह
आत्मजा श्री यू. आर. टिकेकर	पत्नी संजीव सिंह
निवासी-त्रिशरण नगर, खामला	निवासी-फारेस्ट कालोनी, कोरिनभाटा
नागपुर (महाराष्ट्र)	राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2009

क्रमांक/214/अ. वि. अ./वाचक/ट्रस्ट/09.— चूंकि श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय आत्मज श्री बाल मुकुन्द पाण्डेय, बी-36 वी. आई. पी. इस्टेट शंकर नगर रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवे निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 26-9-2009 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम और पता	:	उदंती सीतानदी टायगर कन्जरवेशन फाउन्डेशन, रायपुर, जेल रोड रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 22 अगस्त 2009

क्रमांक/गुमशुदा हेमर/670.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित हेमर आकृत्ति का बीट हेमर कार्यालयीन हेमर चालान क्रमांक 1430 दिनांक 16-9-1999 द्वारा बागबाहरा परिक्षेत्र के तुसदा बीट हेतु जारी किया गया था. उक्त बीट हेमर श्री किरीत राम चौहान वनरक्षक परिसर रक्षी तुसदा द्वारा शासकीय कार्य जंगल गश्त में जाते समय दिनांक 04-07-2009 को शाम 4.00 बजे मोटर सायकल के पीछे थैला में बांधकर रखा गया था. अचानक जंगल के रास्ते उबड़ खराब होने के कारण हेमर की धार से झोला फट गया जिससे हेमर रास्ते में कहीं गुम हो गया.

वनरक्षक द्वारा गुमशुदा बीट हेंमर की सूचना नियमानुसार परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा को दिनांक 05-07-2009 को लिखित पत्र द्वारा दिया गया एवं सिटी कोतवाली महासमुन्द थाना में प्रकरण क्रमांक 150/09 दिनांक 05-07-2009 द्वारा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई. गुमशुदा बीट हेमर की मुनादी आसपास के ग्रामीण कोटवार से कराई गई, साथ ही गुमशुदा हेंमर की खोजबीन सहयोगी के साथ किया गया लेकिन गुमशुदा हेंमर नहीं मिला. गुमशुदा हेंमर का विज्ञापन प्रकाशन हेतु संयुक्त संचालक जन संपर्क कार्यालय रायपुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 468 दिनांक 14-07-09 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु भेजा गया.

N R
199

उपरोक्त दर्शित हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो समीप के वन कार्यालय या निकटतम पुलिस थाना में जमा करावें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति गुमशुदा बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने तथा उपयोग में लाते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी. अत: मैं, आदेश देता हूं कि :-

आदेश

(1) वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शित गुमशुदा बीट हेमर को वनमंडल महासमुन्द के हेमर स्टाक से अपलेखित किया जाता है.

(2) गुमशुदा बीट हेमर की कीमत 100.00 (एक सौ रुपया मात्र) श्री किरीत राम चौहान वनरक्षक तुसदा परिसर से वसूली किया जावें.

(3) हेमर जैसे महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित नहीं रखने के कारण असावधानी बरतने हेतु श्री किरीत राम चौहान वनरक्षक को भविष्य के लिए चारित्रिक चेतावनी दी जाती है.

एच. एल. रात्रे,
वन मंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2009

क्रमांक/430/उपंरा/परि./2009.—मां दंतेश्वरी ईंट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 23 विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1685 दिनांक 20-10-1995 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्री डी. बी. ढारगावे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखड डोंगरगढ़ द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मां दंतेश्वरी ईंट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 23, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2009

क्रमांक/431/उपंरा/परि./2009.—श्रमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 19 विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./04 दिनांक 01-01-1985 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक निुयक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्री डी. बी. ढारगावे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखड डोंगरगढ़ द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत श्रमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 19, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.